



दिनांक: 13.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी किया गया 01 बैटरा, 01 बैट्टा (एक्साइड ट्यूबलर) व 01 सोलर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.08.2024 को वादी श्री सुबे सिंह मलिक पुत्र धीर सिंह निवासी फतेहपुर कलाँ थाना नांगल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी की ट्यूबवैल से सोलर प्लेट व अन्य सामान चोरी कर लेने की सूचना के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 225/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।(ट्यूबलर)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध व चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चोरी के मुकदमें में वांछित **अभियुक्त नितिन पुत्र मुकेश निवासी ग्राम कपासी थाना नांगल जनपद सहारनपुर** को ग्राम खजूरवाला अंडर पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही से चोरी गये 01 सोलर प्लेट, 01 बैट्टा एक्साइड (ट्यूबलर व 01 बैटरा बरामद। अभियुक्त से बरामद बिना कागजात की मोटरसाइकिल धारा 207 एमवी एक्ट में सीज की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह पढ़ा लिखा नहीं है तथा नशे का आदी है अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए चोरी कर चोरी के सामान को बेचकर अपना नशे की जरूरतों को पूरा करता है। दिनांक 25.08.2024 की रात्रि को मैं और मेरे तीन साथियों ने मिलकर ट्यूबल में चोरी की थी, जो सामान मेरे पास से मिला है यह वही चोरी का सामान है जिसे मैं अभी बेच नहीं पाया था।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 बैटरा
- 01 बैट्टा (एक्साइड ट्यूबलर)
- 01 सोलर प्लेट

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नितिन पुत्र मुकेश निवासी ग्राम कपासी थाना नांगल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 मंजू शर्मा थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. का0 2359 अरविन्द कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर



दिनांक: 13.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.09.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी/अभियुक्तगण 1. शानू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम कलालहटी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 2. शक्ति पुत्र पप्पू निवासी उपरोक्त सम्बन्धित वाद सं० 4728/23 के अन्तर्गत धारा 452/323/354/504/506 भादवि को उनके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. शानू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम कलालहटी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. शक्ति पुत्र पप्पू निवासी ग्राम कलालहटी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० श्री बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. का० 2549 जिम्मी सागर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. का० 2525 अनूप कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. का० चालक धीरज कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 13.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.07.2024 को वादी श्री सोनू कुमार पुत्र गिरवर सिंह निवासी गाँव झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से ट्रैक्टर का बैटरा (EXIDE), गैस सिलेंडर (इंडेन), आईटेल की-पैड फोन, अगुंठी सोने की, पाजेब चांदी की व नाक की लॉग चोरी कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0स0 183/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना से अभियुक्त आसिफ पुत्र रियासत निवासी गाँव झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 13.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त आसिफ पुत्र रियासत निवासी गाँव झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को चोरी के मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ। मैं अपने साथी के साथ मिलकर पहले भी चोरी में जेल जा चुका हूँ। मैं अपने खर्चे व नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ। दि0 14.07.2024 को अपने ही गाँव में एक घर से चोरी की घटना में भी मैं अपने साथी के ही साथ था। मेरा साथी को सरसावा पुलिस द्वारा पूर्व में पकड़कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आसिफ पुत्र रियासत निवासी गाँव झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी का मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 894 अंकित तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. पीआरडी तासीन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर